राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4134/2024

फिरोज मोहम्मद

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2024
आदेश की दिनांक : 17.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री भवानी सैनी एवं श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 04.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी, भौजासर, घंटियाली फलोदी किया गया है। उक्त आदेश को पूर्व में अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–2833/2024 में चुनौती दी थी। उक्त अपील अधिकरण द्वारा दिनांक 18.09.2024 को निर्णित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग आगामी 4 सप्ताह की अवधि में करेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है।
3. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा जो अभ्यावेदन दिनांक 24.09.2024 को अति.निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया गया है, उसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग आगामी 2 सप्ताह की अवधि में आख्यात्मक आदेश के साथ करें।
4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)